



Transportation Security Administration

निम्नलिखित पार्बंधियाँ यात्री सकरीनिंग
चैक पुआइंट पर तरल पदार्थों, जैल एवं/अथवा
ऐरोसोलस पर लागू होती हैं



- किसी भी तरल पदार्थ, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस को ले जाने की अनुमती नहीं है सिवाएँ इसके कि 1 कुआर्ट (एक लीटर) का साफ पारदर्शी दोबारा सील हो सकने वाला पलास्टिक का बस्ता जिसमें डाले गए हों 3 ओ जैड (90 ऐम एल) यां उससे कम क्षमता के तरल पदार्थ, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस के पात्र। पलास्टिक बैग का सामान उसमें ठीक से डाला गया हो तथा पलास्टिक बैग पुरी तरह से बंद/सील हो और यात्री के उठाए हुए बैग से अलग एकस—रे निरिक्षण में जा सकता हो।
- आप निम्न लिखित वस्तुएँ भी ले सकते हैं लेकिन इनका ब्योरा आपको टी एस ए को सक्रियानिंग चैक पुआइंट पर देना होगा यदी ये 1 कुआर्ट (एक लीटर) के साफ पारदर्शी दोबारा सील हो सकने वाले पलास्टिक के बस्ते में न डाले हों या अथवा /एवं 3 ओ जैड (90 ऐम एल) से ज्यादा हों।
 - बच्चा फार्मूला/दूध (मां का दूध सम्मिलित) तथा पात्रों में बच्चों का आहार यदी बच्चा या छोटा बच्चा यात्रा कर रहा हो
 - दवाइयाँ (तरल, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस)
 - तरल (जूस सम्मिलित) अथवा मधुमय यां दूसरे नरीजों के लिए जैल
- अन्य सभी तरल पदार्थ, जैल एवं/अथवा ऐरोसोलस चैक किये गये बैगों में ही ले जाए जायें कहीं से भी खरीदे गये तरल (पीने वाले सम्मिलित) जैल अथवा ऐरोसोलस वायूयान पर ले जाये जा सकते हैं।